


<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज ओमप्रकाश/हीराम आदि किस्म मुकदमा राजस्व विविध (प्राथमा पत्र अंतर्गत धारा 232 आरटी. एक्ट, 1956 एवं 82 एल.आर. एक्ट, 1956) मुकदमा सं 38/08 ()</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>8/1/20</p>	<p>श्री ओ.पी. जाखड़ एड. श्री सत्यनारायण सिवाडी एड.</p> <p>जमानगी के दो उर्द/अकीम - दामत व हानम प्रारिजात को निर्देश करे गए जमानते लाने के बाब किन्तु अन्तिम नये आये। ऐसा उद्देश्य होता है। अकीम प्रारिजात प्रमाण को आगे चलाने के इच्छुक नये हैं। अतः जमानगी अन्तिम प्रारिजात की उद्देश्य के दो उर्द अन्तिम में लाने की जाती है। जमानगी के लिए शुभारंभ होना सम्भव है कि वह आगे जायगा सकल सन्तुष्ट - ये</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">जिला कलक्टर, बीकानेर</p>	